तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा0 पत्र संख्या 153/2019 अ.धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 **उनवानी गिरीराज आदि बनाम मनोज कुमार आदि** GCMS 2019/00343	

12.04.2022

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है।

विद्वान योग्य अधिवक्ता आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि आवेदकगण राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 73 के हाल खसरा नम्बर 758 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 759 रकबा 2.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.95 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.05 हेक्टेयर के खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में आवेदकगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवेदकगण ने रिहायशी मकानात खसरा नम्बर 758 में बना रखे है जहां पर परिवार सहित आबाद है। आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 758 के पश्चिम में अनावेदक संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 1.90 हेक्टेयर स्थित है। अधिवक्ता आवेदकगण ने बहस के अन्त में कथन किया कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर के अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 757 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर कटानी रास्ता ढ़ाणी तेज सिंह से श्योलपुरा जाता है इस रास्ते से खसरा नम्बर 757 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे कदीमी रास्ता आम जा रहा है के द्वारा आवेदकगण अपने घरो में आने जाने के रूप में उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है को राजस्व रिकार्ड में 18 फुट चौड़ा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

विद्वान योग्य अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 757 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर कोई कटानी रास्ता नहीं है। अनावेदक संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 757 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के सहारे कभी भी आवेदकगण के बताये अनुसार कोई रास्ता नहीं रहा है। खसरा नम्बर 757 के उत्तरी पश्चिमी कोने के सहारे अनावेदक संख्या 1 व 2 ने एक पुख्ता मकान बना रखा है तथा तार बाड़ कर रखी है। उनकी भूमि में से कभी भी आवेदकगण का कोई रास्ता नहीं रहा है। जमाबन्दी राजस्व ग्राम जसरापुर संवत 2073-76 के खाता संख्या 73 में दर्ज खसरा नम्बर 760 रकबा 0.95 हेक्टेयर की खातेदारी भी प्रार्थीगण की है। खसरा नम्बर 2342/6[illegible] खसरा नम्बर 2711/762 व खसरा नम्बर 2710/7[illegible] से गुजर रहे कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 760 की [illegible] मीटर है व खसरा नम्बर 2342/644 व खसरा नम्बर 767 [illegible] नम्बर 758 व 799 तक की दूरी 180 मीटर है [illegible] 160 मीटर से अधिक है। आवेदकगण ने अनावेदक संख्या 1 व [illegible] को हैरान परेशान करने की नियत से यह झूठा आवेदन पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा के खारिजे काबिल योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और दोनों पक्षों के योग्य विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के उपबंधों को लागू करने लिये बनाये गये नियम 68 से 70 तक के नियम 69 में यह प्रावधित किया गया है कि :– प्रपत्र 1 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साइट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों (पार्टीज) को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के बाद, यदि अपना इससे समाधान कर लेता है कि :–

1. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है, एवं
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है, वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा या आवेदन पत्र आवेदन किये जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् से स्पष्ट हुआ है कि आवेदकगण ने अनावेदक संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 757 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 18 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2021/1804 दिनांक 21.09.2021 के मुताबिक आवेदकगण ने जिस खेत खसरा नम्बर 757 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे से 18 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है उस मांग किये गये रास्ते के मध्य भूमि खसरा नम्बर 2342/644 भी स्थित है। जमाबन्दी राजस्व ग्राम जसरापुर संवत 2073–76 के खाता संख्या 73 में दर्ज खसरा नम्बर 760 रकबा 0.95 हेक्टेयर की खातेदारी भी प्रार्थीगण की है। खसरा नम्बर 2342/644, खसरा नम्बर 2711/762 व खसरा नम्बर 2710/762 के समीप से गुजर रहे कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 760 की दूरी 160 मीटर है व खसरा नम्बर 2342/644 व खसरा नम्बर 757 से होते हुये खसरा नम्बर 758 व 799 तक की दूरी 180 मीटर है जो 160 मीटर से अधिक है। प्रकरण में लघुतम एवं निकटत दूरी का भी नियम लागू होता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा केवल खसरा नम्बर 757 के खातेदारों को ही हस्तगस्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। खसरा नम्बर 2342/644 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि आवेदकगण द्वारा मांग किये गये रास्ते में खसरा नम्बर 2342/644 की भी 10 मीटर भूमि रास्ते में प्रभावित होना जांच में माना गया है। प्रभावित पक्षकारों से आपत्तियां आमंत्रित किये बिना उनकी भूमि से रास्ते का कटान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के उपबंधों को लागू करने लिये बनाये गये नियम 68 से 70 तक में नया रास्ता कायम करने बाबत लघुतम एवं निकटम दूरी का नियम लागू होने व आवश्यक पक्षकारों के अभाव में आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण का हस्तगत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12—04—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:40:33 IST
Reason: SelfAttested